फा.सं.12/3/2017-स्था.(वेतन-I)

भारत सरकार

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय

(कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग)

नॉर्थ ब्लॉक, नई दिल्ली,
दिनांक 28.07.2017

कार्यालय-ज्ञापन

विषयः चयन द्वारा भर्ती की पद्धति से आयोग द्वारा नियुक्ति के लिए संस्तुत किए गए सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों इत्यादि में कार्यरत अभ्यर्थियों के वेतन निर्धारण के लिए दिशा-निर्देशों के संबंध में।

इस विभाग के दिनांक 07.08.1989 के का.ज्ञा.सं. 12/1/88-स्था (वेतन-I), दिनांक 10.07.1998 के का.ज्ञा.सं. 12/1/96-स्था (वेतन-I) और दिनांक 30.03.2010 के का.ज्ञा.सं. 12/3/2009-स्था (वेतन-I) की ओर संदर्भ आकर्षित किया जाता है जिनके द्वारा विभागीय प्राधिकारियों सहित उचित रूप से गठित प्राधिकरण के माध्यम से चयन द्वारा सीधे भर्ती व्यक्ति के रूप में अभ्यर्थियों की नियुक्ति की जाने पर सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों इत्यादि में कार्यरत अभ्यर्थियों के वेतन निर्धारण के लिए दिशा-निर्देश जारी किए गए थे।

2. सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों के कार्यान्वयन और सीसीएस (आरपी) नियमावली, 2016 को जारी करने के बाद वर्तमान वेतन बैंडों और ग्रेड वेतनों की प्रणाली के स्थान पर वेतन मैट्रिक्स प्रणाली लाई गई है। तदनुसार, इस विभाग के उपर्युक्त दिनांक 07.08.1989 के का.ज्ञा.सं. 12/1/88-स्था (वेतन-I), दिनांक 10.07.1998 के का.ज्ञा.सं. 12/1/96-स्था (वेतन-I) और दिनांक 30.03.2010 के का.ज्ञा.सं 12/3/2009-वेतन -I में आंशिक संशोधन करते हुए दिनांक 01.01.2016 को अथवा इसके पश्चात् नियुक्त किए गए के संबंध में वेतन निर्धारण की पद्धति निम्नानुसार होगीः-

"सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (पीएसयू), विश्वविद्यालयों, अर्द्ध सरकारी संस्थानों अथवा स्वायत्तशासी निकायों में कार्यरत अभ्यर्थियों, जिन्हें सीधी भर्ती के माध्यम से विभागीय प्राधिकारियों सहित उचित रूप से गठित एजेंसी द्वारा लिए गए साक्षात्कार के माध्यम से चयन कर दिनांक 01.01.2016 को अथवा इसके पश्चात् किसी पद पर सीधे भर्ती व्यक्ति के रूप में नियुक्त किया गया है, के मामले में उनका आरंभिक मूल वेतन, पद के स्तर में ऐसे चरण में नियत किया जाएगा ताकि इस मूल वेतन पर सरकार में मान्य वेतन और महंगाई भत्ता, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों इत्यादि में आहरित वेतन और महंगाई भत्ते को संरक्षित कर सके। यदि संबंधित पद में ऐसा कोई चरण शामिल नहीं है, तो वेतन उस वेतन के ठीक नीचे वाले चरण में नियत किया जाएगा। यदि उस पद, जिसमें व्यक्ति की नियुक्ति की गई है, के लिए लागू स्तर में अधिकतम वेतन इस प्रकार परिकल्पित किए गए वेतन से कम होता है तब उसका आरंभिक मूल वेतन पद के ऐसे अधिकतम वेतन पर नियत किया जाएगा। इसी प्रकार, यदि उस पद, जिसमें व्यक्ति की नियुक्ति की गई है, के लिए लागू स्तर में न्यूनतम वेतन इस प्रकार परिकल्पित किए गए वेतन से अधिक रहता है, तब आरंभिक मूल वेतन पद के ऐसे न्यूनतम वेतन पर नियत किया जाएगा। इस सूत्र के अंतर्गत नियत वेतन, वेतन मैट्रिक्स, जिसमें उसकी नियुक्ति की गई है, में पद के स्तर के लिए लागू उच्चतम सैल वैल्यू से अधिक नहीं होगा"।

3. वेतन संरक्षण प्रदान करने के लिए शर्तें वही रहेंगी जो इस विभाग के उपर्युक्त दिनांक 07.08.1989 और 10.07.1998 के कार्यालय ज्ञापनों में निर्धारित की गई हैं। ...2/-

4. जहां तक भारतीय लेखा परीक्षा और लेखा विभाग में सेवारत व्यक्तियों का संबंध है, ये आदेश भारत के नियंत्रक और महालेखा-परीक्षक की सहमति से जारी किए जाते हैं।

5. ये आदेश 01.01.2016 से लागू होंगे।

(पुष्पेंद्र कुमार)
अवर सचिव, भारत सरकार
फोन.न. 23040489

सेवा में,

मानक सूची के अनुसार भारत सरकार के सभी मंत्रालय/विभाग।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को भी प्रेषित

1. सचिव, संघ लोक सेवा आयोग/भारत का उच्चतम न्यायालय/लोक सभा सचिवालय/राज्य सभा सचिवालय/मंत्रिमंडल सचिवालय/राष्ट्रपति सचिवालय/केन्द्रीय सतर्कता आयोग/उप राष्ट्रपति सचिवालय/प्रधान मंत्री कार्यालय/नीति आयोग।
2. महालेखा परीक्षक/महालेखा नियंत्रक, वित्त मंत्रालय
3. कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग (एआईएस प्रभाग)/जेसीए/प्रशा. अनुभाग।
4. सभी राज्यों के राज्यपाल/संघ राज्य क्षेत्रों के उप राज्यपाल
5. सचिव, जेसीएम की राष्ट्रीय परिषद (कर्मचारी पक्ष), 13-सी फिरोजशाह रोड़ नई दिल्ली
6. जेसीएम की राष्ट्रीय परिषद/विभागीय परिषद के कर्मचारी पक्ष के सभी सदस्य
7. कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग/प्रशासनिक सुधार एवं लोक शिकायत विभाग/पेंशन एवं पेंशनभोगी कल्याण विभाग/पीईएसबी के सभी अधिकारी/अनुभाग।
8. संयुक्त सचिव (कार्मिक), वित्त मंत्रालय, व्यय विभाग।
9. अपर सचिव (संघ राज्य क्षेत्र), गृह मंत्रालय।
10. एनआईसी को इस अनुरोध के साथ कि इस का.ज्ञा. को डीओपीटी की वेबसाइट पर अपलोड करने के संबंध में।

(पुष्पेंद्र कुमार)
अवर सचिव, भारत सरकार